न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सरमथुरा जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारीः- श्री मौहम्मद ताहिर,आर.ए.एस.

उनवान

नवाब खाँ बनाम रफीक वगैरा

1. रामेश्वरदयाल पुत्र सरवनलाल जाति ब्राह्मण निवासी सरमथुरा तहसील सरमथुरा

-- वादी

ब्नाम

1. पप्पू पुत्र हटीला
2. वृजलता वेवा विश्नू जाति ब्राह्मण निवासी मस्जिद के सामने, सानी पाडा, सरमथुरा तहसील सरमथुरा

-- प्रतिवादीगण

उपस्थित वकील वादी :- श्री सुरेश श्रीवास्तव एड.
उपस्थित वकील प्रतिवादी :- श्री दिलीप शर्मा एड.
दावा अन्तर्गत धारा 188आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्याः- 06/2016

दिनांकः- 9.10.2018

निर्णय

दावा वादी इस प्रकार पेश हुआ कि वादी आराजी गत ख.नं. 1622/6 व वर्तमान खसरा नंबर1404 रकबा 0.1100 हैक्टैयर स्थित ग्राम सरमथुरा तहसील सरमथुरा का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काविज रहकर काश्त कर रहा है तथा राज्य सरकार को लगान अदा कर रहा है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण वादी के शान्तिपूर्ण आधिपत्य में अक्सर व्यवधान पैदा करते रहते हैं। दिनांक 6.1.2016 को प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी पर निर्माण कार्य करने की नीयत से पत्थर, रेता वगेरा निर्माण सामग्री डलवाना शुरू कर दिया जिसकी जानकारी होते ही वादी ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया तथा उनसे निर्माण कार्य न करने के लिये कहा तो वे नहीं माने और वादी को धमकी दी कि यहां से भाग जा नहीं तो जान से मार देंगे। हमें निर्माण करने से कोई नहीं रोक सकता।

वादी अत्यन्त कमजोर एवं वृद्ध व्यक्ति है जबकि प्रतिवादीगण लट्ठ व चलाव वाले खतरनाक प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग वादी के साथ कभी भी कोई भी वारदात कर सकते है इसलिये वादी उन्हैं अवैध रूप से निर्माण करने से नहीं रोक सका और वहाँ से चुपचाप चला आया। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी में ताकत के बल पर अब भी निर्माण कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध तहसीलदार सरमथुरा एवं थानाधिकारी सरमथुरा को शिकायत की लेकिन किसी ने भी निर्माण कार्य रोकने की कोई कार्यवाही नहीं की जिससे प्रतिवादीगण के हौंसले

बुलंद हो गये है और वे वादग्रस्त आराजी पर तेजी से निर्माण कर रहे हैं जबकि उन्हें वादी की खातेदारी की आराजी में निर्माण करने का कोई भी अधिकार हासिल नहीं है।

यदि न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी में निर्माण करने से नहीं रोका गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी तथा उसके खातेदारी अधिकार प्रभावित होंगे। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी को यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दायर करना आवश्यक हो गया है इसलिये अविलम्ब वाद प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रतिवादीगण को आदेश स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जा सके।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी ख.नं.1404 रकाब 0.1100 हैक्टेयर वाके ग्राम सरमथुरा तहसील सरमथुरा में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान न करें। वादग्रस्त आराजी पर कोई निर्माण कार्य न करें और ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा बाद तामील न्यायालय में उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है।

प्रतिवादीगण द्वारा काउण्टर क्लेम इस आशय का पेश हुआ जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं किया गया है और ना ही कभी निर्माण कार्य किया है। बल्कि प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी की आराजी ख.नंबर 1426 रकबा 0.29 हैक्टेयर स्थित ग्राम सरमथुरा पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। जबकि वादी चलाव व लट्ठ वाला व्यक्ति है। वह इस वादपत्र की आड में प्रतिवादीगण उत्तरदाता की खातेदारी पर येन केन प्रकारेण अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है। प्रतिवादीगण उत्तरदाता वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के अधिकारी है कि वह आ.ख.नं.1426 में प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा नहीं करें। इसके अलावा प्रस्तुत वादपत्र में वादकारण नहीं होने के कारण उक्त प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम-11 के अधीन विधि विरूद्ध होने के कारण लायक खारिज है। प्रतिवादीगण वादी को उनकी आराजी पर कब्जा नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के अधिकारी है अन्यथा प्रतिवादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति धन से किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी।

प्रतिवादीगण ने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया है कि दावा वादी खारिज किया जावे व काउण्टर क्लेम डिक्री किया जाकर वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह आ.ख.नं. 1426 रकबा 0.29 हैक्टैयर स्थित ग्राम सरमथुरा में प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा नहीं करें।

वकील वादी ने काउण्टर क्लेम का जवाब इस प्रकार पेश किया जिसके अनुसार प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी में निर्माण कार्य कर रहे है। प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1426 की आड में वादग्रस्त आराजी में

निर्माण कर रहे हैं। प्रतिवादीगण वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी के अतिरिक्त स्वयं की आराजी पर निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है। काउण्टर क्लेम वादग्रस्त आराजी पर ही दायर होता है चूंकि खसरा नंबर 1426 का पृथक अस्तित्व है जिसका वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजी के संबंध में कोई न्यायिक अनुतोष चाहते हैं तो उन्हें पृथक से वाद लाना होगा।

दावे की मद संख्या 2 में वादकारण की तारीख 6.1.16 अंकित है तथा तथ्यों का स्पष्ट अंकन है तथा मद संख्या 4 व 5 में भी अंकित किया गया है। सिर्फ वादकारण शब्द अंकित न करने से यह नहीं कहा जा सकता कि दावे में वादकारण अंकित नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं की आराजी के संबंध में चाहा गया अनुतोष इस वाद में पाने के अधिकारी नहीं हैं। उन्हें पृथक से वाद लाना होगा। प्रतिवादीगण को इस वाद में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है और ना ही उन्हें किसी प्रकार की क्षति की आशंका है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादपत्र, जवाब दावा, काउण्टर क्लेम एवं जवाब काउण्टर क्लेम का अध्ययन किया गया। समस्त अध्ययन से स्पष्ट है कि वादी स्वयं की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1404 रकबा 0.11हैक्टेयर वाके ग्राम सरमथुरा पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा जबरन कब्जा नहीं करने व निर्माण करने से रोकने हेतु पाबन्द कराने का अधिकारी है।

अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी की आराजी ख.नं. 1404 रकबा 0.0400 हैक्टेयर वाके ग्राम सरमथुरा तहसील सरमथुरा में वादी के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान पैदा नहीं करें। उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा कर निर्माण कार्य नहीं करें और ना ही किसी और से करावें।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्डाधिकारी
सरमथुरा